न्यायालय उपजिलाधिकारी सलेमपुर
प्रभात कुमार राय बनाम [illegible] } वाद संख्या T201907200203064 धारा 80 रा०सं०
अन्तर्गत धारा 80 — बनकटा शिव [illegible]
[illegible] 30-7-19
T201907200203064

प्रतिलिपि [illegible]
[illegible] दि० 25-7-19

ग्राम बनकटा शिव — टप्पा घाटी — परगना सलेमपुर मझौली, तहसील सलेमपुर — जिला देवरिया।

गाँव का नाम	भूमिधर का नाम उसके पिता का नाम और निवास स्थान	खाता खतौनी संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी	गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले खाते का क्षेत्रफल: गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विशिष्ट गैर कृषि प्रयोजन जिसके लिए खाता या उसका कोई भाग काम में लाया जाता है	विशेष विवरण	खातेदार की सहमति हस्ताक्षर सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बनकटा शिव	रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटा शिव सल्लहपुर द्वारा प्रबन्धक प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर	164	2.025 हे०	₹45.50	30 49 2	0.117 0.328 0.445 हे०			

लेखपाल की रिपोर्ट हस्ताक्षर सहित	राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट हस्ताक्षर सहित	नायब तहसीलदार की रिपोर्ट	तहसीलदार की रिपोर्ट व संस्तुति	परगनाधिकारी का आदेश	अगल तारीख की तिथि
11	12	13	14	15	16

महोदय, आवेदक प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर राय प्रबन्धक रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटा शिव सल्लहपुर देवरिया सा० सल्लहपुर तथा घाटी प०स०म० तहसील सलेमपुर जनपद देवरिया द्वारा महाविद्यालय बनकटा शिव तथा घाटी का आराजी संख्या 30/0.117 हे० व आ०सं० 49/0.328 हे० अभिलेख में रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटा शिव सल्लहपुर द्वारा प्रबन्धक प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर के नाम अंकित है। आराजी संख्या 49 भवन एवं सहन के रूप में मौके पर भवन व सहन है तथा आराजी संख्या 30 पर है। दक्षिण व पश्चिम दिशा में चहारदीवारी व पूरब दिशा में विद्यालय है। उक्त आराजी पर व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा कृषि कार्य जैसे बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त आराजी पर व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है।
अतः रिपोर्ट अकृषिक घोषित करने हेतु सेवा में सादर सम्प्रेषित।
[signature] लेखपाल 15.07.2019

महोदय प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में जांच किया गया ग्राम बनकटा शिव [illegible] आवेदक रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटा शिव सल्लहपुर द्वारा प्रबन्धक प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर द्वारा गाटा सं० 30/0.117 हे० व 49/0.328 हे० कुल 0.445 हे० भूमि का प्रयोग विद्यालय के रूप में किया जाता है। [illegible] पर कोई कृषि कार्य नहीं होता। जैसे बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जाता है। अतः विधिवत धारा 80 के अन्तर्गत उक्त भूमि अकृषिक घोषित करने हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।
[signature] 20.7.19 RI

अतः उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या सेवा में सादर प्रेषित।
[signature] दि० 20.7.2019 ना० तह०

अग्रसारित
[signature] 25.7.19

Reader
दर्ज हो
25.7

न्यायालय उप जिलाधिकारी सलेमपुर, देवरिया

प्रतिलिपि [illegible]

नकल नवीस [illegible]
नं० दरखास्त 590
दिनांक 1-8-19
फीस [illegible]
सफ्हों की संख्या 193
तारीख तैयारी 2-8-19
तारीख [illegible] 2-8-19
हस्ताक्षर [signature]

CANCELED
CANCELED

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,जनपद :देवरिया,तहसील :सलेमपुर
वाद संख्या :-RST/03139/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201905200203139
प्रभात कुमार राय बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

CANCELED

संशोधित आदेश

प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर राय द्वारा दिनांक 08.08.2019 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मौजा बनकटाशिव तप्पा घांटी के गाटा संख्या 30 रकवा 0.117 हे0 व 49 रकवा 0.328 हे0 को अकृषिक (व्यवसायिक) घोषित करने हेतु उक्त वाद दाखिल किया गया था जिसमें तहसीलदार सलेमपुर की आख्या दिनांक 25.07.2019 को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटाशिव सल्लहपुर द्वारा प्रबन्धक प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर राय के नाम अंकित है, परन्तु आदेश दिनांक 30.07.2019 को पारित करते समय गलती से लिपिकीय त्रुटिवश रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटाशिव सल्लहपुर, अंकित होने से छूट गया है, जो न्यायहित में संशोधित किया जाना आवश्यक है।

अतः आदेश दिनांक 30.07.2019 को संशोधित करते हुए मौजा बनकटाशिव तप्पा घांटी परगना सलेमपुर मझौली तहसील सलेमपुर जनपद देवरिया की आराजी संख्या 30 रकवा 0.117 हे0 व 49 रकवा 0.328 हे0 पर रामगुलाम राय महाविद्यालय बनकटाशिव सल्लहपुर, देवरिया द्वारा प्रबन्धक प्रभात कुमार राय पुत्र उमाशंकर राय की भूमि को अकृषिक (व्यवसायिक) घोषित किया जाता है। परवाना जारी हो आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कालम में हमेशा अंकित रखा जाय। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(संजीव कुमार यादव)
उपजिलाधिकारी
सलेमपुर।

न्यायालय उप जिलाधिकारी सलेमपुर, देवरिया

नाम नायब
नं० तलब
दिनांक
कुल
शब्दों की संख्या 154
जारी का दिनांक 16-8-19
तारीख हवालगी 16/8/19
दस्तखत

Scanned by CamScanner